

Item No. 01

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

Original Application No. 100/2020 (CZ)

Nitin Kumar

Applicant(s)

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 21.06.2021

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. ARUN KUMAR VERMA, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s):

Mr. Om Shankar Shrivastava, Adv.

For Respondent(s):

Ms. Parul Bhadoria, Adv.

ORDER

1. The instant application has been filed raising the substantial question relating to the environment and issue of illegal sand mining in the District Hoshangabad, Madhya Pradesh. It is stated that enforcement of sand mining Rules has become weak and also there is failure of the authorities concerned to strictly follow the mandatory procedure to allow sand mining in the Madhya Pradesh in absence of a valid Environmental Clearance which is a pre-requisite for granting any mining lease under the provisions of the Environmental Impact Assessment MoEF & CC Notifications dated 14.09.2016 and dated 25.03.2020. The MoEF & CC Notification Dated 14.09.2016 directing that the environmental clearance of the

lessees will only be valid when extension is obtained by following the due process stipulated in clause 9 of the Notification. It is further stated that no such extension has been obtained by Respondent no. 7-9 and other lessees mentioned in the application. The activity of the sand mining as alleged are in violation of Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and Madhya Pradesh Sand (Transport Storage and Mining) Rules, 2019. Learned Counsel has further argued that environmental clearance is co-terminous with lease period and environmental clearance should be extended for the period of lease.

2. The matter was taken up on 02.12.2020 and a Joint Committee consisting the representative from the Collector, Hoshangabad, Mining Officer, Hoshangabad, General Manager, State Mining Corporation and the representative from State Pollution Control Board were directed to submit a factual and action taken report. The Members of the committee visited at the site, inspected the activities and also called the report and submitted the report as follows :

म.प्र शासन, खनिज साधन विभाग,मंत्रालय भेपाल के पत्र क्रमांक -एफ 19-7/2020/12/2 भेपाल दिनांक 06/06/2020 से होशंगाबाद जिले 09 रेत खदानों की टेका अवधि 31/03/2020 तक वैध थी के लिए वर्तमान परिस्थितियों में रेत खनिज की उपलब्धता हेतु अंतरिम व्यवस्था किये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर उक्त 09 रेत खदानों के टेकों की समय वृद्धि टेकेदारों की सहमति के आधार पर 01 वर्ष दिनांक 31/03/2020 अथवा नवीन टेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन की दिनांक (जो भी पहले हो) तक के लिए की गयी थी ।

रेत खदानों का विवरण निम्नानुसार हैं -

क्रं	स्मूहों का कोड	रेत खदान का नाम	खसरा नं	रकबा नं (है)	मात्रा (घ.मी.)प्रतिवर्ष	सर्वोच्चबोलीकर्ता का नाम
1	ड0008	रायपुर -4	126	10.555	168880	शियम इन्टरप्राईसेस
2	ड0022	निमसाडिया	1163	20.243	200000	संतोषरज द्विवेदी
3	ड0023	देवलाखेडी	60	12.145	120000	आर .एस.आई स्टोन प्रा.लि.
4	ड0029	होरियापीपर	226	19.746	125000	ठाकुर कंस्ट्रक्शन

5	डब0251	मेहराघाट-10	365	11.655	116500	ए डी एग्रे फूडस प्रा.लि.
6	डब0253	ओथलखेडा -4	872	10.486	235900	एसोसिएट कार्मस
7	डब0279	राजौन -2	181/1	17.500	236250	एस.आर .ट्रेड्स
8	डब0044	कासदारैयतवाडी	18	4.000	120000	सैनिक फूडस प्रा.लि
9	डब0292	वेदर	58	16.976	309280	सैनिक फूडस प्रा.लि

म.प्र राज्य खनिज निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा समयवृद्धि उपरांत दिनांक 10/06/2020 से म.प्र राज्य खनिज निगम एवं उपरोक्त 09 रेत खदान ठेकेदारों के बीच अनुबंध निष्पादन कर सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात रेत खनिज निकासी हेतु रेत खदानों का संचालन प्रारम्भ किया गया ।

मानसून सत्र की प्रतिबंधित अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 02/10/2020 से उक्त 09 रेत खदानों में रेत उत्खनन कर निकासी का कार्य पुनः प्रारम्भ हुआ था ।

उक्त 09 रेत खदानों के संबंध में दी मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. संभागीय कार्यालय होशंगाबाद द्वारा लेख किया गया है कि उक्त रेत खदानों के पूरक अनुबंध उपरांत ठेकेदारों द्वारा पुनः वैधानिक अनुमतियाँ दिनांक 31/03/2021 तक के लिए प्राप्त कर निगम में प्रस्तुत की गयी थी ।

जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 01 अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक अवैध उत्खनन/परिवहन /भंडारण की प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अवैध उत्खननकर्ता, अवैध परिवहनकर्ता एवं अवैध भंडारणकर्ता के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर दी गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है -

क.	प्रकरण का प्रकार	दर्ज प्रकरण	जप्त वाहन	प्रस्तावित अर्थदण्ड	निराकृत प्रकरण	अविरोधित अर्थदण्ड	जमा राशि	तज्ज में जमा राशि	कुल जमा राशि (तज्ज 0853)
1	अवैध उत्खनन	18	35	15528623	12	6097250	4246000	174000	4420000
2	अवैध परिवहन	175	175	8613480	167	6390500	6390500	1099000	7489500
3	अवैध भंडारण	3	4	6100088	1	100000	100000	15500	115500
जज्ज		201	214	33251193	180	12587750	10736500	1283500	12025000

अवैध उत्खनन /परिवहन / भंडारण के उक्त प्रकरणों में संगत प्रावधानों /नियमों के तहत प्रभवी कार्यवाही की गई तथा अवैध उत्खनन /परिवहन / भंडारण के प्रकरणों में 184 प्राथमिकी (एफ. आई. आर)दर्ज करायी गई है ।

वर्तमान में म.प्र राज्य खनिज निगम द्वारा सम्पूर्ण जिला होशंगाबाद रेत समूह की 118 रेत खदानों को ठेकेदार मेसर्स आर. के ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन्स लि. पता -65 -ए, ट्रांसपोर्ट नगर ,कोरबा ,जिला -कोरबा (छ.ग)को सर्वोच्च निविदा पर दिनांक 30 जून 2013 तक कं लिए स्वीकृत किया गया है । म.प्र राज्य खनिज निगम द्वारा निविदाकार को पत्र क्रमांक -रेत /2020/2686 भोपाल दिनांक 04/12/2020 से आशय पत्र जारी किया गया । जिसके उपरांत संबंधित ठेकेदार द्वारा म.प्र राज्य खनिज निगम के साथ अनुबंध निष्पादन दिनांक 13/01/2021 को किया जाकर 20 रेत खदानों में सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात रेत खनिज निकासी हेतु रेत खदानों का संचालन किया जा रहा है ।

उपरोक्त रेत खदानों द्वारा म.प्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गए सम्मति पत्र में दी गयी शर्तों एवं सस्टेनेबल सैंड माईनिंग गाईडलाईन 2016के प्रावधानों का पालन करते हुये आबंटित लीज क्षेत्र से नियमानुसार रेत का उत्खनन किया है जिस पर संबंधित विभागों द्वारा समय- समय पर निगरानी रखी गयी है ।

उपरोक्त गठित दल द्वारा तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है , जिसके अनुसार सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाईडलाईन 2016 तथा म.प्र. रेत (खनन ,परिवहन भंडारण एवं व्यापार) नियम -2019के संगत प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार सतत रूप से नियमित कार्यवाही की गयी है ।

3. Learned Counsel, Ms. Parul Bhadoria representing the Madhya Pradesh Pollution Control Board has submitted that action has been taken against the persons, who were involved in the illegal mining and more than 200 cases have been registered, 214 vehicles have been seized and out of those pending matters 180 cases have been finalized against whom the penalty, as per law has been recovered. A total amount of Rs.33251193 have been imposed out of which Rs. 10736500 has been realized and deposited. It has further been asserted by the learned counsel for the State Pollution Control Board that the guidelines issued in 2016 and 2020 and the Madhya Pradesh Mines and Mineral Rules, 2019 are strictly implemented and executed by the authorities concerned. Accordingly, since there is no objection on the report thus, we dispose of this application finally, with the direction to the State Pollution Control Board to proceed in accordance with law and to take necessary action against the violator of the Mining Rules. It is further made clear that the lease period has not been defined in the Environmental Clearance Order. Once the lease has been extended by the Competent Authority, they tacitly presumed the Environmental Clearance valid. Original duration of Environmental Clearance and any further extension of lease without prior Environmental Clearance is not in accordance with the interest of the environment, as it could defeat the purpose of Precautionary Principle. It is desirable that SEIAA clearly defines the duration in EC granting orders. Accordingly, the Environmental Clearance must be there and State Pollution Control Board is directed to comply with the provisions

contained in Environmental Rules. The Original Application
No. 100/2020 is finally disposed of.

Sheo Kumar Singh, JM

Arun Kumar Verma, EM

June 21st 2021
O.A. 100/2020(CZ)
K